राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

विषयः— **Affordable Housing Policy-2009** के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मकानों पर वैट की राशि के पुनर्भरण के सम्बन्ध में।

प्रसंगः— आपका अशा. टीप. कमांकः प. 2(18)UDD/5/2009 Part-IV जयपुर, दिनांक 14.06.2011

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अ.शा. टीप के सम्बन्ध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त प्रकरण में वित्त विभाग में परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर से निर्णय हुआ है कि प्रारम्भ में मकान निर्माता कम्पनी द्वारा वैट चुकाया जायेगा तथा उसके बाद इससे सम्बन्धित दस्तावेज त्रैमासिक आधार पर जब भी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत कर दिये जावेंगे, वैट की राशि का पुनर्भरण कम्पनी को कर दिया जावेगा। इस तरह से Affordable Housing Policy-2009 के तहत मकान प्राप्तकर्ता को मकान वैट मुक्त आवंटित होंगे।

अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली विशेषाधिकारी (व्यय–3) को प्रेषित की जा रही है।

(डॉ. रविकुमार एस.)
उप शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
नगरीय विकास विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग

.....

अशा. टीप. संख्या प. 12(27) वित्त/कर/2010
जयपुर, दिनांक : 11-10-2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक एफ. 2(18)नविवि/3/2009पार्ट–IV जयपुर, दिनांक :– 8 NOV 2011

सचिव,
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर/जोधपुर।

मुख्य महाप्रबन्धक,
आवास विकास लिमिटेड,
जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/
बीकानेर/आबू जिला सिरोही/कोटा/उदयपुर/
श्रीगंगानगर/जैसलमेर।

विषय :– **अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मकानों पर वैट की राशि के पुर्नभरण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विचार–विमर्श पश्चात्, "वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर पर निर्णय हुआ है कि प्रारम्भ में मकान निर्माता कम्पनी द्वारा वैट चुकाया जायेगा तथा उसके बाद इससे संबंधित दस्तावेज त्रैमासिक आधार पर जब भी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत कर दिये जावेंगे, वैट की राशि का पुर्नभरण कम्पनी को कर दिया जावेगा। इस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के तहत मकान प्राप्तकर्ता को वैट मुक्त आवंटित होंगे।" वित्त विभाग से प्राप्त अ.शा. टीप की प्रति संलग्न है।

भवदीय,

(पुरूषोत्तम बियाणी)
उप शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
2. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करने हेतु।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, आवास विकास लिमिटेड, जयपुर को सभी डवलपर्स को अपने स्तर पर सूचित करने हेतु।
5. श्री मूलचन्दानी, आवासन सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव–प्रथम